

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

18/8/25

क्रमांक
प्रति,

ESTB/7399/2025-RAJPATRIT STHAPANA

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक.....

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय :-

अतिथि व्याख्याता नीति 2025 के कंडिका 5.4 का स्पष्टीकरण

संदर्भ :-

अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/38-1 दिनांक
20.06.2024

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है संदर्भित पत्र द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के कंडिका 5.4 में "छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।" के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि यदि विषय विशेष हेतु आमंत्रित पद विरुद्ध प्राप्त आवेदन में "समान श्रेणी एवं समान मेरिट पॉइंट होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा।"

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
DAYASHANKAR JAGAT ✓
Date: 18-08-2025 ✓

16:50:43 पर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय
छत्तीसगढ़

18/8/25